

कार्यालय—जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

Email ID- dcourtpan-mp@nic.in

—:: विविध आदेश ::—

क्रमांक—पी—93/कोरोना वायरस (बण्डल)2020

पन्ना, दिनांक 27.06.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक क्यू/5, दिनांक 25 मार्च, 2020 के अनुसार कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से समस्त न्यायिक जिलों में दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक की अवधि के लिये "No Court work" के निर्देश दिये गये थे। लॉकडाउन के चरण में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक क्यू-6, क्यू-7, क्यू-11, क्यू-12, ए/911, क्लेरिफिकेशन डी/1985 परिपत्र क्रमांक-ए/930 तथा परिपत्र क्रमांक-बी/1880 जबलपुर दिनांक 30.05.2020 परिपत्र क्रमांक-ए/1214 जबलपुर, दिनांक 05.06.2020, परिपत्र क्रमांक-सी/1455 जबलपुर, दिनांक 19.06.2020 के द्वारा पूर्व परिपत्र क्यू 5 के निर्देशों के अनुसार न्यायालय द्वारा किये जाने वाली कार्यवाहियों की अवधि को चरणबद्ध विस्तारित किया गया। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक-डी/2377 जबलपुर, दिनांक 27.06.2020 के द्वारा इस संबंध में पूर्व में प्रेषित क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 एवं परिपत्र क्रमांक-सी/1455 जबलपुर, दिनांक 19.06.2020 निर्देश द्वारा न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों की अवधि को दिनांक 04.07.2020 तक विस्तारित किया गया है।

इस स्थिति में उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्रों एवं निर्देशों के पालन में इस कार्यालय द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक-पी-51 दिनांक 04.05.2020, परिशिष्ट क्रमांक-पी-53 दिनांक 05.05.2020, द्वितीय परिशिष्ट क्रमांक-पी-55, दिनांक 06.05.2020 विविध आदेश क्रमांक-पी-62 पन्ना दिनांक 18.05.2020 एवं परिशिष्ट क्रमांक-पी-63 पन्ना दिनांक 18.05.2020 एवं विविध आदेश क. पी-73 दिनांक 31.05.2020 एवं विविध आदेश क.76 दिनांक 06.06.2020 एवं विविध आदेश क्रमांक-पी-90 में दिये गये निर्देशों अनुसार न्यायालयीन कार्यवाहियों के क्रियान्वयन को 04.07.2020 तक के लिये विस्तारित किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक-डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.06.2020 की प्रति संलग्न की जा रही है।



(प्रेम नारायण सिंह)


जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पन्ना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक—पी 93/2020

पन्ना, दिनांक—27.06.2020

प्रतिलिपि:—

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर को आदेशानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/कुटुम्ब न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई,
03. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक पवई,
04. प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/प्रतिलिपि/सांख्यिकी/लेखा/ग्रंथालय/कम्प्यूटर अनुभाग पन्ना/पवई/अजयगढ़,
05. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो पवई/अजयगढ़
06. समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण पन्ना,
07. जिला कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. पुलिस अधीक्षक, पन्ना की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि सभी संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।
09. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना,
10. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, पन्ना, की ओर समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
12. जिला जन संपर्क अधिकारी पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना स्थानीय समाचार-पत्र एवं स्थानीय टी0व्ही0 चैनलों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/जिला नाजिर पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. सिस्टम ऑफीसर/सिस्टम असिस्टेंट पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना सभी न्यायाधीशगण/समस्त कर्मचारीगण की ई-मेल आई0डी0/व्हाट्स एप नंबर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
16. जेल अधीक्षक पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. जेल अधीक्षक सतना एवं छतरपुर को जेल अधीक्षक पन्ना के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. जिला नाजिर पन्ना/नायब नाजिर पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं न्यायालयीन प्रवेश द्वार पर आदेश की प्रति लगाने तथा के निर्देश के साथ पालनार्थ प्रेषित।


 जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 पन्ना (म0प्र0)